

2

नीलामी से सम्बन्ध
17-3-17 को प्राप्त

कार्यालय तहसीलदार मोहनलालगंज लखनऊ

पत्रांक 68/ना0ना0/सा0 स्टैण्ड नीलामी/17-18

दिनांक 2.3.2017

नीलामी सूचना


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2017-18 हेतु तहसील मोहनलालगंज में साइकिल स्टैण्ड की नीलामी निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 20.3.17 को 11-00 बजे नायब तहसीलदार मोहनलालगंज के द्वारा सम्पन्न की जायेगी। नीलामी के पूर्व सभी शर्तों को पढ़कर सुनाया जायेगा।

नीलामी की शर्तें

1. प्रत्येक ठेकेदार को बोली बोलने से पूर्व ₹0 5000/- अग्रिम जमानत के रूप में जमा करना होगा। बिना जमानत राशि के जमा किये हुए किसी व्यक्ति को बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा। जमानत के रूप में जमा धनराशि का समायोजन अन्तिम किश्त में कर लिया जायेगा।
2. प्रत्येक ठेकेदार को पचीस हजार रुपये की हैसियत हेतु चल या अचल सम्पत्ति अथवा फिक्स डिपॉजिट का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
3. नीलामी सबसे अधिक धनराशि बोलने वाले के पक्ष में छोड़ी जायेगी। यह नीलामी वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगी।
4. नीलामी की कार्यवाही समाप्त होने पर नीलामी की धनराशि का 1/4 तुरन्त जमा करना होगा। शेष 3/4 धनराशि तीन समान किश्तों में माह जून 2017, सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2017 में जमा करना होगा। ऐसा न करने पर जमानत स्वतः समाप्त हो जायेगी। अवशेष धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भौति करने हेतु उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज स्वतंत्र होंगे।
5. पूर्व बकायेदारों को बोली बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।
6. तहसील कर्मचारी व बाहर से आये डाक रनर से शुल्क नहीं लिया जायेगा।
7. साइकिल का किराया 3 ₹0 व मोटर साइकिल का किराया 5 ₹0 तथा चार पहिया वाहन का किराया 10 ₹0 की दर से अधिक नहीं लिया जायेगा।
8. साइकिल/मोटर साइकिल गायब होने पर ठेकेदार को इसकी कीमत देनी होगी।

9. स्टैम्प ड्यूटी यदि कोई हो, नियमानुसार देय होगी।
10. ठेकेदार द्वारा तहसील में आने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति/आमजनता से अभद्र व्यवहार करने की शिकायत प्राप्त होती है और शिकायत सत्य पायी जाती है तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा और जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी। तत्पश्चात 15 दिवस के अन्दर अवशेष धनराशि तत्काल जमा करना होगा। नियत अवधि के अन्दर अवशेष धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की भॉति वसूली की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।
11. शर्तों का उलंघन करने पर बिना कारण बताये किसी भी समय नीलामी निरस्त की जा सकती है।
12. साइकिल स्टैण्ड पीछे की तरफ जहाँ स्थान बना है। वही पर गाड़ी खड़ी की जायेगी।


दिनांक 20.3.17


नीलाम अधिकारी/नायब तहसीलदार
निगोहाँ, लखनऊ

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रभारी अधिकारी(नजारत) कलेक्ट्रेट लखनऊ
2. उपजिलाधिकारी मोहनलालगंज महोदय लखनऊ।
- ✓ 3. उपनिदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस सूचना को समाचार पत्रों में निःशुल्क छपवाने का कष्ट करें।
4. खण्ड विकास अधिकारी मोहनलालगंज/गोसाईगंज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार हेतु।
5. नायब नाज़िर मोहनलालगंज को नोटिस बोर्ड पर चस्पा एवं प्रचार करने हेतु।
6. समरत राजस्व निरीक्षक तहसील मोहनलालगंज को सूचनार्थ एवं प्रचार हेतु।
7. तहसीलदार सदर/मलिहाबाद/बी०के०टी०/सरोजनी नगर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

दिनांक 20.3.17


नीलाम अधिकारी/नायब तहसीलदार
निगोहाँ, लखनऊ